बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–23 / 2016 4458 / कृ0, पटना, दिनांक–21-10-2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) **अनौपचारिक रूप** द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+) **से परामर्शित।**

विषय : **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश मद–1103.424 लाख (ग्यारह करोड़ तीन लाख ब्यालीस हजार चार सौ) रुपये, राज्यांश 735.616 लाख (सात करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार छः सौ) रुपये, कुल 1839.04 लाख (अठारह करोड़ उनचालीस लाख चार हजार) रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए केन्द्रांश मद में 176.54784 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 117.69856 लाख रूपये कुल 294.24640 लाख (दो करोड़ चौरानवे लाख चौबीस हजार छः सौ चालीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार, केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश मद–1103.424 लाख (ग्यारह करोड़ तीन लाख ब्यालीस हजार चार सौ) रुपये, राज्यांश 735.616 लाख (सात करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार छः सौ) रुपये, कुल 1839.04 लाख (अठारह करोड़ उनचालीस लाख चार हजार) रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए केन्द्रांश मद में 176.54784 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 117.69856 लाख रूपये कुल 294.24640 लाख (दो करोड़ चौरानवे लाख चौबीस हजार छः सौ चालीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि प्राप्त होने के उपरांत ही आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा।

3. राज्य में मिट्टी के स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखते हुए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने तथा टिकाउ खेती को प्रोत्साहित करने एवं संतुलित मात्रा में आवश्यकतानुसार उर्वरकों के प्रयोग, उर्वरक उपयोग क्षमता, पंचायत स्तर तक स्वॉयल फर्टिलिटी मैप तैयार करने, प्रखंड स्तर पर फसलवार लक्षित उपज के अनुसार उर्वरकों की अनुशंसा तैयार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य के सभी किसानों के खेतों की मिट्टी नमूनों की जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। इस योजना अन्तर्गत राज्य के सभी किसानों को प्रत्येक होल्डिंग के लिए अगले तीन वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वॉयल हेल्थ कार्ड) उपलब्ध कराया जाना था। इसके बाद आवर्त्ती रूप में अगामी वर्षो में भी सभी किसानों को स्वॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त "मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना" के मार्गदर्शिका के अनुसार सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर एवं असिंचित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर के ग्रीड से एक नमूना लिया जाना है। बिहार में सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रों को मिलाकर तीन वर्षो में लगभग 14.52 लाख नमूने की जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाना था। इस प्रकार 2015.16 में 4.84 लाख नमूनें संकलित किए जाने का लक्ष्य था। भारत सरकार के पत्रांक–16–3 / 2014 Fert Use दिनांक 9 मई 2016 आनुसार तीन वर्ष के लक्ष्य को घटा

E:\ABHINAV\2016-17\Soil Health Card\16-17 SHC sanlekh 1839.04lakh final.docx

कर अब दो वर्षों में ही लक्ष्य प्राप्त किए जाने के उदेश्य से 2016–17 में बिहार राज्य के लिए कुल 837896 नमूना का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष के लंबित नमूनों के साथ वर्ष 2016–17 के लिए कुल 886800 नमूनों का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। भारत सरकार द्वारा नमूना संग्रहण, जाँच एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्माण एवं वितरण तक आवर्त्ती व्यय के रूप 190 रुपये प्रति नमूना ब्यय का प्रावधान है जिसका 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस योजनान्तर्गत नमूनों के विश्लेषण हेतु मानव बल पर व्यय, आवश्यक सामग्री कय (रसायन, ग्लासवेयर, कार्ड आदि) GPS उपकरण कय, स्वायल हेल्थ कार्ड तैयार कर किसानों को वितरण, प्रशिक्षण (प्रयोगशाला कर्मी, प्रसार कर्मी एवं कृषक) एवं मिशन मैनेजमेन्ट मद में राशि व्यय की जायेगी। इस योजना के कार्यान्वयन से कृषकों के उत्पादन लागत में कमी आएगी तथा उत्पादकता में वृद्वि होगी साथ ही रसायनिक उर्वरकों के खपत में 20 प्रतिशत तक की कमी आने की संभावना है। इससे राज्य के किसानों को वृहत पैमाने पर लाभ होगा।

4. राज्य के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में सभी राजस्व ग्रामों के सभी किसानों को दो वर्षो में उनके सभी जोतों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है जिसमें द्वितीय वर्ष 2016–17 में कुल 8 लाख 86 हजार 8 सौ नमूने संग्रहित कर स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाएगें। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–1 संलग्न है। केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में वर्गवार आवश्यक राशि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूचि अनुसूची–2 संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त गत वर्ष के लंबित नमूनों का भी लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।

5. भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र संख्या 1–2 / 2014 Fert Use (I) दिनांक 22.01.2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 6,46,913 मिट्टी नमूनों को संग्रहण किया जाना था। जिसमें संशोधन कर पत्र सं० 14–1 / 2015 Fert Use (PT) दिनांक 28.04.2015 के अनुसार 436259 किया गया जिसके अनुपात में अवयववार राशि उपबंधित की गई। किन्तु अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार के 2.5 हे० सिंचित एवं 10 हे० असिंचित कृषि योग्य भूमि के आँकड़ों के आधार पर मिट्टी नमूनों की संख्या 484,125 होती थी जिसका जिलावार लक्ष्य पत्र सं० NMSA को०–18 / 2015–262 / कृ० दिनांक 23.04.2015 द्वारा दिया गया। भारत सरकार के पत्रांक–16–3 / 2014 Fert Use दिनांक 9 मई 2016 आनुसार तीन वर्ष के लक्ष्य को धटा कर अब दो वर्षों में ही लक्ष्य प्राप्त किए जाने के उदेश्य से 2016–17 में बिहार राज्य के लिए कुल 837896 नमूना का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष के लंबित नमूनों के साथ वर्ष 2016–17 के लिए कुल 886800 नमूनों का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। इस योजनान्तर्गत आवर्ती व्यय के रूप में प्रति नमूना 190 रू0 का प्रावधान है। इसमें नमूना संग्रहण और प्रयोगशाला तक परिवहन के लिए कुल 22 रु०, विश्लेषण कार्य हेतु 75 रु० प्रति नमूना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की छपाई 5 रु० प्रति कार्ड और वितरण प्रति पंचायत 500 रु०, संविदा आधारित दो कर्मियों की सेवा के लिए कुल 15,000 रु० प्रतिमाह, जागरूकता अभियान एवं प्रबंधन के लिए 22000 रु० प्रति मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, 5 जी0पी0एस0 उपकरण के लिए 30000 रु० प्रति मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, प्रयोगशालाओं में विविध व्यय के लिए 70000 रू0 प्रति प्रयोगशाला तथा 10 हेक्टेयर में प्रत्यक्षण–सह–प्रशिक्षण हेतु 45000 रू0 की दर से राशि प्रावधानित है। भारत सरकार के पत्रांक 16–3 / 2014 Fert Use दिनांक 29.09.2015 द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड मद में उपलब्ध राशि के Inter Component Flexiblity की स्वीकृति दी गई है। इसी मद से रेफरल नमूनों की जॉच हेतु भी ब्यय भार वहन किया जायगा। यह राशि मिट्टी जॉच प्रयोगशालाओं के निकासी एवं ब्यथन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जायगी।

6. भारत सरकार के पत्र संख्या– 16–6 / 2016–Ferti use दिनांक– 29.08.2016 द्वारा दिनांक– 26.08.2016 के प्रभाव से नमूना संग्रहण से कार्ड वितरण तक के लिए प्रति नमूना रू० 190 के स्थान पर रू० 300 प्रति नमूना देने की स्वीकृति दी गयी है, जिसका ब्योरा निम्नवत है,

Sl. No.	Activity	Amount (In Rs.) w.e.f. 26.08.2016
1	Sampling cost	40.00
2	Engaging Contractual services & training per STL	37.00
3	For analyzing soil sample cost of chemicals + mis	150.00
4	Printing of SHC per sample	50.00

Fripathi

5	Distribution of SHC per sample	10.00
6	Demonstration	5.00
7	Funds for awareness/mission management/STL	4.00
8	GPS	4.00
Cost of analyzing of one sample		**300.00**

7. मृदा सुधारक हेतु रु 2500/– हेक्टर की दर से 6920 हेक्टर 173.00 लाख ब्यय किया जाना है। यह राशि मिट्टी जॉच प्रयोगशालाओं के निकासी एवं ब्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जायगी।

8. नमूनों के विश्लेषण हेतु मिट्टी रसायनज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए कुल 44 प्रशिक्षण (20 के बैच में) के लिए 60,000 रु० प्रति प्रशिक्षण की दर से राशि प्रावधानित है। यह राशि बामेती को उपलब्ध कराई जायगी।

9. प्रसार कर्मियों/प्रयोगशाला कर्मी के क्षमता संवर्द्वन हेतु 36,000 रु० प्रति प्रशिक्षण की दर से कुल 25 प्रशिक्षण प्रावधानित हैं।यह राशि आत्मा को उपलब्ध कराई जायगी।

10. किसानों के क्षमता संवर्द्वन हेतु 24,000 रु० प्रति प्रशिक्षण की दर से कुल 25 प्रशिक्षण प्रावधानित हैं। यह राशि आत्मा को उपलब्ध कराई जायगी।

11. समेकित संचार तकनीक अंतर्गत पोषक तत्व प्रबंधन (ICT-INM) के प्रोत्साहन हेतु 12.93 लाख रु० का प्रावधान किया गया है। यह राशि संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला को उपलब्ध कराई जायगी।

12. मिशन प्रबंधन में 18.21 लाख रु० का प्रावधान किया गया है। यह राशि संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला को उपलब्ध कराई जायगी।

13. योजना कार्यान्वयन की आवश्यकता के अनुसार प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।

14. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उददव्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशा निर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।

15. योजनान्तर्गत निकासी के लिए कुल स्वीकृत राशि 294.24640 लाख रूपये में से केन्द्रांश की राशि 176.54784 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख चौवन हजार सात सौ चौरासी) रूपये का व्यय मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, "माँग सं0–1, उप शीर्ष 0238–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड– P2401007890238, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा" पी0एफ0एम0एस0 कोड–9142 में वर्ष 2016–17 में पुनरीक्षित उपबंधित राशि 600.00 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

योजनान्तर्गत निकासी के लिए कुल स्वीकृत राशि 294.24640 लाख रूपये में से राज्यांश की राशि 117.69856 लाख (एक करोड़ सतरह लाख उनहत्तर हजार आठ सौ छप्पन) रूपये का व्यय मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, "माँग सं0–1, उप शीर्ष 0338–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड– P2401007890338, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा" पी0एफ0एम0एस0 कोड–9142 में वर्ष 2016–17 में पुनरीक्षित उपबंधित राशि 400.00 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

16. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–23/2016 के पृ0सं0– 36/प. पर दिनांक : 08.09.2016 को प्राप्त है। स्वीकृत्यादेश प्रारूप में माननीय मंत्री, कृषि एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–23/2016 के पृ0सं0–32/टि0 पर दिनांक 17.10.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/x/16

(रामजी सिंह)
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–23/2016– 4455 /कृ0, पटना दिनांक–21-10-2016

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/x/16

सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–23/2016– 4455 /कृ0, पटना दिनांक–21-10-2016

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, आई0एन0एम0 डिवीजन, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/x/16

सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–23/2016– 4455 /कृ0, पटना दिनांक–21-10-2016

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/x/16

सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–23/2016– 4455 /कृ0, पटना दिनांक–21-10-2016

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ कृषि निदेशक/निदेशक, पी0पी0एम0/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/x/16

सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।